

प्रक्रिया 6

लासेक प्रवेश 2 मार्च 2006

उक्त:- पत्नारी ड० पत्नारी महसूल राजगढ़
115

शु० नरसी व मगवती नि० मी० गौरखपुरा
(गौरखपुरा)

निर्णय दिनांक 10.3.08

आज यह प्रकरण पेश हुआ।

गौरखपुरा ह० अतिथि अथ० उ० अ०


प्रकरण का सारांश यह है। पत्नारी-
ड० का पत्नारी ने यह आग्रह की रिपोर्ट न्यायालय के
पेश की गई मी० गौरखपुरा की ख० न० 134 रकबा
02 अथ० रास्ता की मी० पर नामांकन कलमां कर
शु० नरसी तथा मगवती ने दलाल व कासा बना
लिया है।

उपरोक्त दोनों अतिथि अथ० ने पहले ही मी०
गौरखपुरा की ख० न० 134 रास्ता की अतिथि पर अतिथि
दिया गया था। यह अतिथि अथ० के खिलाफ पत्नारी ने
रिपोर्ट पेश की थी। यह प्रकरण गौरखपुरा की
पक्ष में ही अतिथि अथ० को दिया जा चुका है।

यह आदेश के खिलाफ मी० जिला कलक्टर
डालवा की न्यायालय के अपील की गई जो प्रकरण
नरसी व मगवती 115 राज० सरकार से सम्बन्धित है
अपील-अपीला-र० रकायत की गई तथा यह न्यायालय
के निर्णय दिनांक 6.7.05 को उद्घोष रखा गया।

अब पुनः रिपोर्ट कर मी० गौरखपुरा
की ख० न० 134 रकबा की अतिथि पर नरसी तथा
मगवती ने कलमां कर अतिथि अथ० कर दिया है।

प्रकरण दर्ज पंजीक कर गौरखपुरा नरसी-
तथा मगवती जाते दलाल नि० मी० गौरखपुरा
की धारा 91 CRP का नोटिस दिया जा रहा है
दिनांक 21.01.06 को जारी किया गया।
गौरखपुरा शु० नरसी व मगवती न्यायालय के


महसूलदार
राजगढ़ (सबकर) राजगढ़

340 आदि। उन्होंने अपना-अलग 2 नीति
 का जवाब दिया। तथा अपने संबंध में क्लॉर
 की नीति - क्लॉरमल तथा प्रसादील का हलफना
 तथा वसीयतनामा की दृष्टि से वेरा की गैर जो
 शामिल की गई। गैरसापलाग की भीर से की क्लॉरमल
 आगमावक का वसीयतनामा दायित्व हुआ तथा
 पत्रकारी हलफ पलका वसाग लिपे जाय शामिल
 काद किपे गये।

गैरसापलाग पुं नली तथा मजबूती की नीति
 का साक्षात् सुनाया। उन्होंने अतिरिक्त 341
 रूपों को अपना मोरसा हीना बताया गया

पुं नली वेका हीने के नाले उसे नियतां
 तथा निर्णय से अकारत कलाया तथा उल्लेख 2
 संभलाया गया कि अपने भीजा जोरखपुरा के साक्षिगंड
 रास्ता पर हुआ अतिरिक्त किया है। किपे गये
 गैर की गुरत हटाके। उल्लेख आपकी अदील
 रणिक ही मुनी है तथा माठ पुरख मेनी (विजलेश
 शाखा जयपुर से शिवायत की गई है। तथा आपकी
 दिनांक 20.10.05 को मोरिष रूप से वेरवल दिया
 हुआ है। गैरला से पुं नली तथा मजबूती की
 रास्ता की आरामी से कला हटा लेने को कहा गया
 लेकिन वह आध रास्ता की धूमि से कला हटाने
 को सहमत नहीं।

(अपने)
 (अपने)

प्रकरण के विह्वलन अतिरिक्त की क्लॉर मुनी
 गई। पत्रकारी का अवलोकन किया गया। मागा
 जोरखपुरा की साक्षिगंड रास्ता की से अतिरिक्त
 को दिनांक 20.10.05 मोरिष रूप से वेरवल दिया
 गया। जिसकी अदील रूप से की गई जो दिनांक 21-10-06
 को स्वीकृत की गई।

गैरसापलाग के लया वेरा किपे गये वसीयतनामा
 व हलफनामा के बारे में रास्ता की जमीन से
 समाहित कोई कथन स्वीकार किपे जाने योग्य नहीं
 है। पत्रकारी हलफ पलका की निर्णय तथा वसाग
 को स्वीकृत की गैरसापलाग पुं नली व मजबूती
 के द्वारा साक्षिगंड आध रास्ता पर आते-जाते
 होना पूर्ववत् स्वीकृत होता है। जो क्लॉरमल
 वेरवली व वसाग का वेरवली तथा स्वीकृत

(2) कारोबार समाप्त ले 505बीडि छिप जाये यो 12⁹⁹

आए:

आदेशां हे 99 छि पुं नल्थी रन्नी चनीरक -
तथा मजबती 571 चनीरक जाते बिल मीमा गोरखपुरा
को रवे.न. 134 रषवां 02 रषर आक रास्ता ही
आमे ले बोरखल छिया जाता हे । तथा 50 पर
50 गुनी पेनल्लो. 2716 लमागंसे 12 रुपये क्लोर
लाकागं तथा । माह ही सिपिल, समाप्त ले
505बीडि छिया जाता हे ।

पुं नल्थी वं मजबती निवासी मीमा
गोरखपुरा तहसीलं राजमा को वा.र गिरफ्तारी -
जाते कर 540 राजमा को मेजे जाके काममी
हेतु न.र.न. डो मिजवासे ।
आज दिनांक 10-3-06 को निर्दिष्ट सर
रजलील सुनाया । प्रकटा नम्बर ले 35
ही ।
सुनाया । वरुं वक्रीलं जास्ता -
दाखिल निपमागुकर ही ।

(3 मे 571 कोल मीमा)
लक्ष्मीदेवरा राजमा 6
राजपद (धरवर) पप

दां ले० सं० 4 नं० 2006-07
के पठ संख्या 127
राशी .12 - मी ये ।
त० १० ले०